

**न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
(पीठासीन अधिकारी दीप्ति रामचन्द्र मीना, आर.ए.एस.)**

अपील संख्या 168/2022

दायरा दिनांक : 20.09.2022

उनवान

- 1- काल्या उर्फ कल्लू आ0 इलाही बक्श, जाति पिंजारा मुसलमान, निवासी गेहूँखेड़ी, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़ मृतक जरिये कायम मुकामान :-
- 1/1- बाबू वल्द काल्या उर्फ कल्लू, जाति पिंजारा मुसलमान, निवासी रटलाई, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड़
- 1/2- अकबर वल्द काल्या उर्फ कल्लू, जाति पिंजारा मुसलमान, निवासी गेहूँखेड़ी, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़
- 1/3- सुल्तान वल्द काल्या उर्फ कल्लू, जाति पिंजारा मुसलमान, निवासी गेहूँखेड़ी, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़
- 1/4- पीरू वल्द काल्या उर्फ कल्लू, जाति पिंजारा मुसलमान, निवासी गेहूँखेड़ी, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़
- 1/5- अनीसा पुत्री काल्या उर्फ कल्लू, जोजे शफीक भाई, जाति पिंजारा मुसलमान, निवासी झालरापाटन, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड़

.... अपीलांट



बनाम

- अली मोहम्मद वल्द इलाही बक्श, जाति पिंजारा मुसलमान, निवासी गेहूँखेड़ी, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़ राजस्थान जरिये कायम मुकामान :-
- 1/1- अलानूर पुत्र अली मोहम्मद, जाति पिंजारा मुसलमान, निवासी गेहूँखेड़ी, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़
- 1/2- फिदा हुसैन पुत्र अली मोहम्मद मृतक कायम मुकामान :-
- 1/2/1- सज्जो पुत्री फिदा हुसैन, जाति पिंजारा मुसलमान, निवासी गेहूँखेड़ी, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़
- 1/2/2- शारूख पुत्र फिदा हुसैन, जाति पिंजारा मुसलमान, निवासी गेहूँखेड़ी, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़
- 1/2- बाबू पुत्र अली मोहम्मद, जाति पिंजारा मुसलमान, निवासी गेहूँखेड़ी, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़
- 1/3- नासिर पुत्र अली मोहम्मद, जाति पिंजारा मुसलमान, निवासी गेहूँखेड़ी, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़
- 1/4- शारूख पुत्र फिदा हुसैन, जाति पिंजारा मुसलमान, निवासी गेहूँखेड़ी, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़
- 1/5- अज्जू आत्मज अली मोहम्मद, जाति पिंजारा मुसलमान, निवासी गेहूँखेड़ी, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़
- 1/6- हाजरा पत्नी अली मोहम्मद, जाति पिंजारा मुसलमान, निवासी गेहूँखेड़ी, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़
- 1/7- इमामन पुत्री अली मोहम्मद, जाति पिंजारा मुसलमान, निवासी गेहूँखेड़ी, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़
- 1/8- सदरुन पुत्री अली मोहम्मद, जाति पिंजारा मुसलमान, निवासी गेहूँखेड़ी, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़
- 1/9- बदरुन पुत्री अली मोहम्मद, जाति पिंजारा मुसलमान, निवासी गेहूँखेड़ी, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़
- 2- राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़ राजस्थान

.... रेस्पोंडेंट

अपील संख्या 118/2019

दायरा दिनांक : 03.12.2019

उनवान

काल्या उर्फ कल्लू वल्द इलाही बक्श, जाति पिंजारा मुसलमान, निवासी गेहूँखेड़ी, तहसील अकलेरा मृतक जरिये कायम मुकामान :-

- 1/1- बाबू वल्द काल्या उर्फ कल्लू
 1/2- अकबर वल्द काल्या उर्फ कल्लू
 1/3- सुल्तान वल्द काल्या उर्फ कल्लू
 1/4- पीरू वल्द काल्या उर्फ कल्लू

1/5- अकवाम जाति पिंजारा मुसलमान, निवासी गेहूँखेड़ी, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़
 अनीसा पुत्री काल्या उर्फ कल्लू, जोजे शफीक भाई, जाति पिंजारा मुसलमान, निवासी
 झालरापाटन, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड़

.... अपीलांट

बनाम

1- अली मोहम्मद वल्द इलाही बक्श, जाति पिंजारा मुसलमान, निवासी गेहूँखेड़ी, तहसील अकलेरा,
 जिला झालावाड़ राजस्थान जरिये कायम मुकामान :-

- 1/1- अलानूर पुत्र अली मोहम्मद, जाति पिंजारा मुसलमान, निवासी गेहूँखेड़ी, तहसील
 अकलेरा, जिला झालावाड़
 1/2- फिदा हुसैन पुत्र अली मोहम्मद मृतक जयें कायम मुकामान :-
 1/2/1- शाहरुख पुत्र फिदा हुसैन
 1/2/2- सज्जो पुत्री फिदा हुसैन,
 1/3- बाबू पुत्र अली मोहम्मद,
 1/4- नासिर पुत्र अली मोहम्मद,
 1/5- अज्जू पुत्र अली मोहम्मद,
 1/6- हाजरा पत्नी अली मोहम्मद,
 1/7- इमामन पुत्री अली मोहम्मद,
 1/8- सदरून पुत्री अली मोहम्मद,
 1/9- बदरून पुत्री अली मोहम्मद,



अकवाम जाति पिंजारा मुसलमान, निवासी गेहूँखेड़ी, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़
 2- राजस्थान सरकार जयें तहसीलदार तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़

..... रैस्पोंडेंट

यह अपील अन्तर्गत धारा 223
 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित : श्री चन्द्र प्रकाश खण्डेलवाल अभिभाषक अपीलांट की ओर से
 रैस्पोंडेंटगण अनुपस्थित ।

निर्णय

दिनांक : 16.10.2023

1 ये दोनों अपीले समान पक्षकार एवं समान प्रकृति की होने के कारण इनका निस्तारण एक साथ किया जा रहा है ।

2 ये दोनों अपीले अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अकलेरा के प्रकरण संख्या - 38/वाजदायूर/17 निर्णय व प्राथमिक डिकी दिनांक 21.01.2019 तथा फाईनल डिकी दिनांक 31.05.2019 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है।

3 दोनों अपीलों के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादीगण अपीलांट ने एक दावा अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश किया और यह कथन किया कि ग्राम गेहूँखेड़ी, तहसील अकलेरा के माल में खेवट खतौनी संख्या नई 7 पुरानी 9 की खसरा नम्बर 40 की 9 बिस्वा, खसरा नम्बर 41 की 9 बिस्वा, खसरा नम्बर 42 की 19 बिस्वा, खसरा नम्बर 43 की 13 बिस्वा, खसरा नम्बर 44 की 3 बिस्वा, खसरा नम्बर 45 की 3 बिस्वा, खसरा नम्बर 47 की 1 बीघा 3 बिस्वा, खसरा नम्बर 48 की 1 बीघा 2 बिस्वा, खसरा नम्बर 49 की 1 बीघा 9 बिस्वा, खसरा नम्बर 50 की 1 बीघा 8 बिस्वा, खसरा नम्बर 51 की 4 बीघा 12 बिस्वा, खसरा नम्बर 371 की 8 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नम्बर 373 की 3 बीघा, खसरा नम्बर 389 की 6 बीघा 8 बिस्वा, खसरा नम्बर 424 की 7 बीघा 2 बिस्वा, खसरा नम्बर 470 की 3 बिस्वा कुल 10 कित्ता की 37 बीघा 18 बिस्वा आराजी वादी एवं प्रतिवादी की शामिल खाता हिस्सा 1/2 - 1/2 भाग सम्भाग से स्थित है। वादग्रस्त आराजी में वादी अपने हिस्सा 1/2 भाग को अच्छी से अच्छी एवं बुरी से बुरी का विभाजन करवाकर कब्जा प्राप्त करना चाहता है।

अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अकलेरा ने दिनांक 21.01.2019 को वादीगण का वाद प्राथमिक डिक्री कर आदेश दिया कि ग्राम गेहूँखेडी, तहसील अकलेरा के माल में नई खतौनी संख्या 7 की कुल 10 किता की 37 बीघा 18 बिस्वा में वादीगण का 1/2 हिस्सा वादीगण के पृथक खाते दर्ज करने हेतु तहसीलदार अकलेरा को राजस्व मण्डल के नियम 18 से 21 के अनुसार आराजी का विभाजन पत्र तैयार कर पेश करने के आदेश पारित किये। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अकलेरा ने दिनांक 31.05.2019 को वादीगण का वाद फाईनल डिक्री कर आदेश दिया कि ग्राम गेहूँखेडी, तहसील अकलेरा के माल में नई खतौनी संख्या 7 की कुल 10 किता की 37 बीघा 18 बिस्वा में वादीगण का 1/2 हिस्सा निम्न प्रकार पृथक खाते दर्ज कर नाप कर कब्जा आराजी संभलाया जावे। यदि बैंक रहन का नोट हो तो यथावत दर्ज रहेगा, जिससे अप्रसन्न होकर यह अपील पेश की गई।

ग्राम गेहूँखेडी हिस्सा वादीगण					
क्र.सं.	खसरा नं.	रकबा बीघा में	किस्म	लगान	दिशा
1	40	0.09	बीड प्रथम	0.27	सम्पूर्ण
2	42	0.03	चाही अलीफ	0.90	पश्चिम
3	43	0.13	चाही अलीफ	3.90	सम्पूर्ण
4	44	0.01	बीड प्रथम	0.03	पश्चिम
5	47	0.07	चाही अलीफ	2.10	पश्चिम
6	48	1.02	चाही अलीफ	6.60	सम्पूर्ण
7	49	1.09	माल दौयम	2.18	सम्पूर्ण
8	51	2.06	माल दौयम	3.45	पश्चिम
9	371	8.15	माल प्रथम	15.31	सम्पूर्ण
10	423	3.11	माल प्रथम	6.21	पश्चिम
11	470	0.02	खेडा अब्दल	0.22	पश्चिम
कुल 11 किता		18.18 बीघा	-	41.17	-



नोट : आराजी खसरा नम्बर 45 रकबा 0.03 बीघा गै0 मु0 चाह पूर्वानुसार शामलाती खाते में दर्ज रहेगा।

4 इस न्यायालय में प्रस्तुत दोनों अपीलों के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि -

5 अपील संख्या 168/2022 के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय पत्र संग्रहसार तथा कानून के विपरीत होने से निरस्त होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय पारित करते समय वास्तविक स्थिति व दस्तावेजी साक्ष्य व अपीलांत के कथनों का विवेचन नहीं किया है—केवल मात्र रेस्पोंडेंट द्वारा विवादित भूमि के बंटवारे बाबत ही व हिस्सा हक अधिकार के बाबत ही समझ कर निर्णय पारित कर दिया है तथा अपीलांत द्वारा अपने जवाबदावे में यह अंकित किया है कि रेस्पोंडेंट वादी द्वारा जो वाद अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया है जिसके पैरा नम्बर 1 में वर्णित आराजी पुश्तैनी जायदाद है उक्त आराजी का विभाजन आज से 40 साल पूर्व गांव के पांच लोगों एवं रिश्तेदारान द्वारा करवा दिया गया था तथा उक्त आराजी में प्रतिवादी(अपीलांत) काल्या उर्फ कल्लू को ग्राम गेहूँखेडी, तहसील अकलेरा की खतौनी सं. 8 की खसरा नं. 46 फेरा वाली 2 बीघा 13 बिस्वा आराजी के बदले इस वाद की मद नं. 1 में वर्णित आराजी में 6 बीघा आराजी वादी के (प्रतिवादीगण) रेस्पोंडेंट के हिस्से से कम करते हुए प्रतिवादी (अपीलांत) को दी गई थी तभी से वादी रेस्पोंडेंट एवं प्रतिवादी अपीलांत अपने-अपने हिस्से पर काबिज काश्त करते चले आ रहे हैं और वादी रेस्पोंडेंट ने खसरा नं. 46 की 2 बीघा 13 बिस्वा आराजी अपने नाम खाते करवायी है और वाद की मद नं0 1 में वर्णित आराजी वादी रेस्पोंडेंट एवं प्रतिवादी अपीलांत के शामलाती खाते में दर्ज चली आ रही है। इस प्रकार से अपीलांत एवं रेस्पोंडेंट का विवादित आराजीयात में हिस्सा है, इसी हिस्सानुसार बंटवारा किया जाना चाहिए था, जो कि सही व सत्य है। मगर अधीनस्थ न्यायालय ने केवल मात्र अपने स्तर से अपने-अपने हिस्से का 1/2, 1/2 का हिस्सा दर्ज किया है, जो कि कानूनी पेचिदगी की जद में आ गया है। क्योंकि वास्तविक स्थिति यह है कि वादी रेस्पोंडेंट एवं प्रतिवादी अपीलांत के पिता इलाही बक्श थे जिनके प्रथम पत्नि बरती बाई की संतान प्रतिवादी अपीलांत हैं तथा दूसरी औरत अल्लारखी की संतान वादी रेस्पोंडेंट अली मोहम्मद हैं। इस प्रकार दोनों वादी एवं प्रतिवादी अपीलांत एवं रेस्पोंडेंट एक ही पिता की संतान हैं तथा आपसी बंटवारा किया जाना कानूनी पेचिदगियों से बचने के लिये वादी रेस्पोंडेंट एवं प्रतिवादी अपीलांत के मध्य किया जाना

(Signature)

आवश्यक है। मगर दोनों पक्षकारान में पूर्व में उनके आपसी समझौते व आपसी सहमति से राज पंचों के सामने जो बंटवारा हिस्सा किया है जिसका वर्णन अपीलॉट प्रतिवादी ने अपने जवाबदावे में किया है उसी अनुसार बंटवारा कर दिया जावे। जिसका की वाद में तनकीयात में भी हवाला है तथा निर्णय में भी हवाला है। इसी बाबत वाद का निर्णय किया जाना चाहिए था। मगर अधीनस्थ न्यायालय ने अंकित तथ्य पर विचार व गौर नहीं किया, ना ही स्वतंत्र गवाहान व पक्षकारान के बयानों पर ध्यान दिया है केवल मात्र सरसरी तौर पर निर्णय पारित कर दिया है, जो कि निरस्त होने योग्य है और इसी बिन्दु के आधार पर पुनः तनकीयात का मोहताज है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय पक्षकारान को न्याय नहीं मिला है। अतः न्याय किया जावे और अपीलॉट के द्वारा पेश किये गये जवाबदावे व बयानात तथा दस्तावेजी साक्ष्य पर विचार करके निर्णय पारित किया जावे। ऐसा न्याय हित में आवश्यक है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को अपास्त किया जाकर अपीलॉट व रेस्पोंडेंट की सुनवाई की जाकर सही निर्णय पारित किया जावे।

6 अपील संख्या 118/2019 के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आदेश एवं फाईनल डिक्ली विधि एवं न्याय के सर्वथा विपरीत है, जो निरस्त होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने विवादित आराजी ग्राम गेहूंखेडी की कुल 10 किता की 37 बीघा 18 बिस्वा भूमि में रेस्पोंडेंट/वादी के 1/2 हिस्से की आराजी के मामले में बंटवारा प्रस्ताव प्राप्त होने के बाद अपीलॉट को सुनवायी का अवसर दिये बिना ही एवं आपत्तियां पेश करने का अवसर दिये बिना ही एक तरफा आदेश जारी कर फाईनल डिक्ली पारित कर दी, जो बंटवारे के नियम 18 से 21 के पूर्णतया विपरीत है। विवादित आराजी के मामले में वक्त बंटवारा प्रस्ताव दिनांक 20.05.2019 को मौके पर अपीलॉट को नहीं बुलवाया और एक तरफा रूप से बंटवारा प्रस्ताव तैयार कर दिया, यह बंटवारा प्रस्ताव भू अभिलेख निरीक्षक एवं पटवारी हल्का के द्वारा तैयार किया गया है, जबकि बंटवारे के नियम के मुताबिक बंटवारा प्रस्ताव तहसीलदार स्वयं के द्वारा मौके पर जाकर तैयार किया जाना कानूनन आवश्यक है। बंटवारे के लिये पटवारी हल्का द्वारा मौके पर उपस्थित होने बाबत अपीलॉट/प्रतिवादीगण को कोई नोटिस जारी नहीं किया गया, परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने इस कानूनी बिन्दु पर गौर नहीं फरमाकर आई.एल.आर. द्वारा तैयार किये गये बंटवारा प्रस्ताव के आधार पर फाईनल डिक्ली पारित करने का आदेश पारित कर दिया, जो अवैधानिक है। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा केवल वकील वादी व वादी की सहमति के आधार पर मुताबिक विभाजन पत्र फाईनल डिक्ली पारित की है, जबकि बंटवारा प्रस्ताव में हर खसरो नम्बर के टुकड़े कर दिये और बंटवारा भी केवल वादीगण का ही किया। प्रतिवादीगण, अपीलॉट के हिस्से का बंटवारा नहीं किया गया, बंटवारे में भी पक्षकारान के पूर्व में कब्जे की आराजी का ध्यान नहीं रखा गया, जो कानूनन बंटवारे के नियमों के पूर्णतया विपरीत है। इस ओर भी अधीनस्थ न्यायालय ने कोई गौर नहीं फरमाया। अपीलॉट ने प्रारम्भिक निर्णय एवं डिक्ली के विरुद्ध माननीय न्यायालय में अपील प्रस्तुत कर रखी है, जिसकी जानकारी रेस्पोंडेंट/वादीगण को थी, परन्तु फिर भी दौराने अपील अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा फाईनल डिक्ली पारित कर दी, जो कानूनन अवैधानिक है। अतः अपील पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलॉट स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश एवं फाईनल डिक्ली दिनांक 31.05.2019 निरस्त फरमाया जावे एवं प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अकलेरा को रिमाण्ड किया जावे कि तहसीलदार स्वयं मौके पर जाकर पेपर पार्टीशन तैयार करवाये एवं पेपर पार्टीशन पर दोनों पक्षों को आपत्तियां पेश करने का अवसर देते हुए बंटवारे के नियम 18 से 21 को मध्य नजर रखते हुए विधिवत रूप से पुनः फाईनल डिक्ली पारित करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय को निर्देशित किया जावे।

7 अपील सं. 118/2019 के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 26.11.2019 को हुई। जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है। अतः विलम्ब का शमन किया जाये।

8 दोनों अपीले प्राप्त होने पर अपील संख्या 118/2019 सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई। नोटिस जारी किये गये। रेस्पोंडेंट की ओर से किसी के उपस्थित नहीं आने पर एक तरफा बहस योग्य अभिभाषक अपीलॉट सुनी गई।



9 विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराया एवं अपने पक्ष के समर्थन में आर.आर.टी. 2022(1) पेज 61, आर.आर.टी. 2023(1) पेज 219, आर.आर.टी. 2018-2019 (सप्ली.) पेज 410 न्यायिक दृष्टांत पेश किये जो शामिल पत्रावली की गई।

10 हमने बहस पर मनन किया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलांट के लायक अधिवक्ता ने सर्वप्रथम अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किये जाने का निवेदन किया। हमने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र का अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के लायक अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। ए. आई. आर.1998 (एस.सी.) पृष्ठ संख्या 3222 बालकृष्ण बनाम कृष्णामूर्ति के प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय ने अभिमत दिया है कि पर्याप्त कारण दिये हैं तो विलम्ब को क्षम्य कर देना चाहिए। माननीय उच्चतम न्यायालय ने उक्त निर्णय के पैरा संख्या 11 में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि मियाद अधिनियम एक प्रक्रियात्मक विधि है जिसे प्रकरण के गुणावगुण को ध्यान में रखते हुए यदि कोई विलम्ब हुआ है तो उसको उपसमन करते हुए प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण के आधार पर किया जाना चाहिए। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।



11 हमने अभिभाषक अपीलांट की एक पक्षीय बहस सुनी गई। प्रस्तुत अपील व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का गहनता से अवलोकन करने पर पाया गया कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अकलेरा द्वारा पारित प्राथमिक डिक्री दिनांक 21.01.2019 विधि के प्रावधानों के अनुरूप होने के कारण एकदम उचित व सही है। क्योंकि वादग्रस्त आराजी के कम में पूर्व में भी न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा द्वारा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक डिक्री दिनांक 09.12.2013 को अपास्त करते हुए प्रकरण इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया गया था कि निर्णय में तनकीयात का उल्लेख करें और तनकी नम्बर 4 की विवेचना कर नये सिरे से विधि सम्मत रूप से निर्णय पारित करें। इस आदेश की पालना में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 21.01.2019 को तनकीवार निर्णय पारित करते हुए तनकी नं. 1 व 2 वादी रेस्पोंडेंट के पक्ष में व तनकी नम्बर 3 व 4 प्रतिवादी अपीलांट के विरुद्ध फैसल की है, जो राजस्व रेकार्ड के अनुसार विधि सम्मत है।

12 प्रतिवादी अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील व अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अकलेरा में वादग्रस्त आराजी के कम में प्रस्तुत जवाबदावे में यह कथन किया है कि वादी रेस्पोंडेंट व प्रतिवादी अपीलांट के मध्य पूर्व में पारिवारिक आपसी बंटवारा हो चुका है, जिसके अनुसार खसरा नम्बर 46 की 2 बीघा 13 बिस्वा आराजी पूर्व में ही वादी रेस्पोंडेंट ने अपने खाते दर्ज करवा ली थी व इसके बदले वाद की मद नम्बर एक में वर्णित कुल किता 10 की 37 बीघा 18 बिस्वा आराजी जिसमें वादी रेस्पोंडेंट का 1/2 हिस्सा है इस 1/2 हिस्से में से 6 बीघा आराजी प्रतिवादी अपीलांट को अपने 1/2 हिस्से के अलावा अधिक दी जाये। इस कम में प्रतिवादी अपीलांट द्वारा अपने कथन को सिद्ध करने के लिए किसी भी प्रकार के दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराये हैं जैसे पूर्व का पारिवारिक बंटवारा या खसरा नम्बर 46 की भूमि राजस्व रेकार्ड में किसके नाम दर्ज थी। इस प्रकार प्रतिवादी अपीलांट का यह कथन कि वादी रेस्पोंडेंट के 1/2 हिस्से की आराजी में से 6 बीघा जमीन पर प्रतिवादी अपीलांट का कब्जा है, परन्तु अपने कब्जे की पुष्टि के कम में कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। अतः अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अकलेरा द्वारा दिनांक 21.01.2019 को पारित प्राथमिक डिक्री विधिक प्रावधानों के अनुकूल होने के कारण हम उसमें हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं। प्राथमिक डिक्री के विरुद्ध प्रस्तुत अपील संख्या 168/2022 सारहीन होने के कारण निरस्त की जाती है।


13 जहाँ तक अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अकलेरा द्वारा दिनांक 31.05.2019 को पारित अंतिम डिक्री का प्रश्न है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन पश्चात् यह पाया गया कि यह अंतिम डिक्री पटवारी व आई.एल.आर. द्वारा तैयार किये गये बंटवारा प्रस्ताव, जो तहसीलदार अकलेरा को दिनांक 20.05.2019 को प्रेषित किये हैं, के आधार पर पारित की गई है। इस बंटवारा प्रस्ताव को तहसीलदार द्वारा केवल अपने हस्ताक्षर से प्रमाणित किया है, स्वयं मौके पर जाकर तैयार करना प्रतीत नहीं होता है। बंटवारा प्रस्ताव पर प्रतिवादी अपीलांट के हस्ताक्षर भी अंकित नहीं है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि बंटवारा प्रस्ताव प्रतिवादी अपीलांट की अनुपस्थिति में तैयार किया गया है। राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के

नियम 18 से 21 में विभाजन प्रस्ताव तैयार करने बाबत महत्वपूर्ण प्रावधान अंकित है। उन प्रावधानों के अनुसार तहसीलदार को स्वयं मौके पर जाकर, उभयपक्षकारों को पूर्व में सूचना देकर, उनकी उपस्थिति में विभाजन प्रस्ताव तैयार करने चाहिए थे। इस प्रकरण में विभाजन प्रस्ताव पटवारी व आई.एल.आर. ने तैयार किये हैं, जो राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 की अवहेलना करके तैयार किये गये हैं। अतः इन बंटवारा प्रस्तावों के आधार पर पारित अंतिम डिक्री दिनांक 31.05.2019 विधि सम्मत नहीं होने के कारण अपास्त किया जाना हम उचित समझते हैं।



14 उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपील संख्या 168/2022 खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अकलेरा द्वारा पारित प्राथमिक डिक्री दिनांक 21.01.2019 विधि सम्मत रखा जाता है एवं अपील संख्या 118/2019 आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व फाईनल डिक्री दिनांक 31.05.2019 अपास्त किया जाता है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अकलेरा को इस दिशा निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) के नियम 1955 के नियम 18 से 21 की पालना करते हुए उभयपक्षकारान की उपस्थिति में तहसीलदार द्वारा बंटवारा प्रस्ताव तैयार करवाकर पुनः विधि सम्मत रूप से अंतिम डिक्री पारित करें। पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अकलेरा में दिनांक 18.12.2023 को उपस्थित होंगे।

15 निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(दीप्ति प्रमचन्द्र मीना)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा